ऑन लाईन नं. RCMS 2016/00134

न्यायालय : अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : वीरेन्द्र सिंह चौधरी, आर0ए0एस0

अपील प्रकरण सं0 90/2016

1. नन्दा देवी धर्मपत्नी श्री मदन सिंह जाति जाट आयु लगभग 66 वर्ष निवासी खालसानगर गेट के पास, पदमपुर रोड, श्रीगंगानगर जरिए मुख्तयार खास मदन सिंह पुत्र श्री रामनाथ राम जाति जाट निवासी खालसानगर गेट के पास, पदमपुर रोड, श्रीगंगानगर (राजस्थान)।

अपीलार्थी

बनाम

1. प्राधिकृत अधिकारी एवं पदेन सचिव, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर

रेस्पोडेन्टस

उपस्थित :

1. श्री मोहन लाल छाबड़ा अधिवक्ता, अपीलार्थीगण
2. श्री संजय पोटलिया अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

अपील खिलाफ इन्तकाल संख्या 298 दिनांक 17.09.2012, द्वारा तहसीलदार (भू0अभि0), श्रीगंगानगर, जिसकी रूह से अपीलान्टा की खातेदारी कृषि भूमि के सम्बन्ध में एकपक्षीय कार्यवाही कर इन्तकाल जेर अपील नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर के नाम से दर्ज किया गया। बमुराद मन्सूखियां अन्तर्गत धारा 75 राज. भू. राजस्व अधिनियम

::आदेश:: दिनांक :–30.07.2024

1. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि तहसील व जिला श्रीगंगानगर के चक 3 ए छोटी, पटवार हल्का रामनगर में मुरब्बा नम्बर 2 का किला नम्बर 7 में 0.0370 है. नहरी एवं किला नम्बर 14/2 में 0.1390 है. कुल 0.1760 है. मुश्तरका खाता में सुखदर्शन सिंह 0.126 है. एवं कलावती पत्नी श्री रतनलाल के नाम से 0.050 है. भूमि दर्ज रिकॉर्ड थी। अपीलांटा वृद्ध बीमार एवं औरतजात है तथा स्वयं उपस्थित होकर पैरवी करने में असमर्थ है इसलिए अपील जरिए मुख्तयार खास प्रस्तुत की जा रही है। जिसे प्रस्तुत करने हेतू अनुमति प्रदान की जावें।
2. यह कि अपीलान्ट द्वारा उपरोक्त मुश्तरका खाता की भूमि में से सुखदर्शन सिंह के नाम एवं खातेदारी की 0.126 हैक्टेयर कृषि भूमि जरिए रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 16.03.2004 से खरीद कर कब्जा प्राप्त कर लिया एवं खरीद की गयी भूमि कां राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज करवाये जाने के लिए आवेदन पत्र एवं बैयनामा की प्रति राजस्व अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत कर दी।
3. यह कि अपीलान्टा द्वारा खरीद की गयी भूमि का इन्तकाल अपीलान्टा के नाम से नहीं हुआ था एवं कलावती पत्नी रतनलाल के साथ मुश्तरका खाता की भूमि में रास्ता का विवाद उत्पन्न होने पर कलावती पत्नी रतनलाल द्वारा एक दीवानी वाद सिविल

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

9982692566 रामकुमार एड.

न्यायाधीश (कनिष्ठ खण्ड), श्रीगंगानगर के न्यायालय में रेस्पोडेन्ट संख्या 2 सुखदर्शन सिंह के खिलाफ प्रस्तुत किया, क्योंकि तत्समय राजस्व रिकॉर्ड में भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के नाम दर्ज थी। उक्त वाद संख्या 10/2011 अनवानी कलावती बनाम सुखदर्शन सिंह दिनांक 31.01.2011 को माननीय सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ खण्ड) श्रीगंगानगर के न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया। उक्त आदेश दिनांकित 31.01.2011 के खिलाफ कलावती पत्नी रतनलाल की ओर से माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष एस. बी.रिट् पीटीशन संख्या 1185/2011 प्रस्तुत की गयी एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 09.02.2011 को रिट् याचिका में समस्त विवादग्रस्त भूमि पर स्थगन आदेश पारित कर दिया।

4. यह कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 22.07.2013 को रिट् याचिका स्वीकार कर वाद डिग्री किया एवं मौका कमिश्नर नियुक्त कर रिपोर्ट मंगवाकर अन्तिम डिग्री जारी किये जाने हेतु प्रकरण सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ खण्ड) श्रीगंगानगर को प्रेषित किया, जिसकी पालना में न्यायालय द्वारा दिनांक 06.12.2014 को अन्तिम डिग्री पारित की। दिनांक 06.12.2014 तक उपरोक्त वर्णित विवादग्रस्त भूमि स्थगन आदेश के अधीन बंधित थी।
5. इन्तकाल संख्या 281 दिनांक 29.12.2010 से अपीलाधीन भूमि अपीलान्टा के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो गयी। इन्तकाल की प्रति पत्रावली पर प्रस्तुत की है अपीलान्टा दिनांक 29.12.2010 को खातेदार दर्ज हो गयी। यहां यह भी अंकित करना आवश्यक होगा कि अपीलान्टा द्वारा पूर्व में ही बैयनामा की प्रति एवं इन्तकाल स्वीकृत करवाने हेतु आवेदन राजस्व अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत कर रखा था।
6. यह कि रेस्पो. प्राधिकृत अधिकारी एवं पदेन सचिव, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर द्वारा बिना रिकॉर्ड का अवलोकन किये एवं बिना कोई रिपोर्ट सम्बन्धित राजस्व पटवारी से तलब किये बिना खातेदार को तलब किये कानूनी प्रावधानों एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत कार्यवाही करते हुए आदेश जेर अपील से धारा 90 बी भू–राजस्व अधिनियम के तहत अपीलान्टा की खातेदारी कृषि भूमि वाके चक 3 ए छोटी, पटवार हल्का रामनगर में मुरब्बा नम्बर 2 का किला नम्बर 7 में 0.0370 है. नहरी एवं किला नम्बर 14/2 में 0.1390 है. कुल 0.1760 है. मुश्तरका खाता में से 0.126 है. को गैर मुमकिन भूमि दिनांक 16.12.2010 को घोषित करने के आदेश पारित कर दिये एवं उक्त आदेश की पालना में अर्सा दो वर्ष उपरान्त इन्तकाल जेर अपील दिनांक 17.09.2012 को स्वीकृत कर दिया गया जिसकी नाराजी से निम्न वजूआत पर अपील प्रस्तुत की जा रही है।
7. अपीलांटा की ओर से मीमो ऑफ अपील में अंकन किया गया कि इन्तकाल जेर अपील खिलाफ कानून व रूऐदाद मिसल है जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न है।
8. यह कि इन्तकाल जेर अपील स्वीकृत करने से पूर्व रेस्पोडेन्ट अधिनस्थ न्यायालय द्वारा न तो पत्रावली का अवलोकन किया एवं ना हीं न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग किया। इसलिये भी इन्तकाल जेर अपील अपास्त किये जाने योग्य है।
9. यह कि इन्तकाल जेर अपील एकतरफा बिना कोई नोटिस दिये एवं बिना कोई सुनवाई किये प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत पारित किया है जो हर कानूनी बिन्दु पर अपास्त किये जाने योग्य है।
10. यह कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इन्तकाल जेर अपील पारित करने से पूर्व न तो राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया एवं ना हीं तत्समय सम्बन्धित पटवारी हल्का से ही

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

कोई रिपोर्ट प्राप्त की। अपीलान्टा सन् 2004 से बतौर खरीददार काबिज है एवं राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज हेतु आवेदन प्रस्तुत किया हुआ है लेकिन इन समस्त तथ्यों की जानकारी हासिल किये बिना ही इन्तकाल जेर अपील पारित किया गया है जो कि अपास्त किये जाने योग्य है।

11. यह कि कथित आदेश अन्तर्गत धारा 90 बी एल.आर.एक्ट पारित होने के उपरान्त अर्सा दो वर्ष तक नगर विकास न्यास की ओर से अपीलाधीन भूमि का इन्तकाल करवाने के लिए कोई प्रयास नहीं किये गये एवं इस दौरान इन्तकाल संख्या 281 अपीलान्टा के नाम से स्वीकृत हुआ। दिनांक 14.09.2012 को इन्तकाल संख्या 298 नगर विकास न्यास द्वारा एक तरफा एवं विधि विरूद्ध अपने नाम से स्वीकृत करवाया गया, जबकि उक्त दिनांक को अपीलाधीन भूमि अपीलान्टा के नाम से दर्ज थी एवं धारा 90 बी का आदेश सुखदर्शन सिंह के नाम से था एवं इन्तकाल स्वीकृत करवाने के राज भूमि किसी भी प्रकार से सुखदर्शन सिंह के नाम नहीं थी ऐसी स्थिति में नगर विकास न्यास का यह दायित्व था कि वह अपीलान्टा को बुलाकर एवं समस्त वस्तु स्थिति को मध्यनजर रखकर ही आगामी कार्यवाही करती लेकिन अपने अनुचित प्रभाव से गलत आदेश की आड़ में इन्तकाल जेर अपील स्वीकृत करवाया गया है जो कि अपास्त किये जाने योग्य है। धारा 90 बी एल.आर.एक्ट के आदेश के खिलाफ पृथक से अपील प्रस्तुत कर दी गयी है।

12. यह कि इन्तकाल जेर अपील स्वीकृत होने की कोई जानकारी अपीलान्टा को नहीं थी क्योंकि इन्ताकाल जेर अपील एकतरफा बिना कोई नोटिस दिये एवं बिना अपीलांटा को सुने स्वीकृत किया गया है। अपीलान्टा के खिलाफ एक प्रथम सूचना रिपोर्ट अपीलाधीन भूमि के सम्बन्ध में दिनांक 05.12.2016 को दर्ज होने पर एवं दिनांक 11.12.2016 को पुलिस द्वारा आकर अपीलान्टा को इस सम्बन्ध में सूचित करने पर कि अपीलाधीन भूमि नगर विकास न्यास के नाम से दर्ज हो चुकी है पर अपीलान्टा ने समस्त वस्तु स्थिति की जानकारी अपने पति श्रीमदन सिंह की मार्फत प्राप्त की जिस पर अपीलान्टा को आदेश जेर अपील के पारित होने की जानकारी हुई । अपीलान्टा द्वारा इस पर कानूनी राय प्राप्त कर की गयी तो अपीलान्टा को मूल आदेश धारा 90 बी एल.आर.एक्ट के खिलाफ अपील माननीय संभागीय आयुक्त, बीकोनर के समक्ष एवं इन्तकाल जेर बहस की अपील माननीय के समक्ष प्रस्तुत करने की सलाह दी गयी जिस पर अपीलान्टा द्वारा दिनांक 22.12.2016 को पटवारी हल्का से नकल प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत कर नकल हासिल की एवं आज रोज बिना किसी अतिरिक्त विलम्ब अपील माननीय न्यायालय में प्रस्तुत की जा रही है। अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी सदभावनापूर्वक है एवं इन्तकाल जेर अपील अपीलान्टा की भूमि की हद तक बिना क्षेत्राधिकार का होने के कारण मियाद का बिन्दु महत्वहीन है। धारा 5 एवं 14 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र संलग्न है।

13. यह कि अपीलाधीन भूमि पर माननीय उच्च न्यायालय का स्थगन आदेश बाबत यथास्थिति बनाये रखे जाने का प्रभावी था एवं इसकी बाखूबी जानकारी राजस्व अधिकारियों एवं नगर विकास न्यास के अधिकारियों को थी इसके बावजूद विधि विरूद्ध कार्यवाही की जाकर इन्तकाल जेर अपील कथित आदेश पारित होने के उपरान्त अर्सा दो साल बाद नगर विकास न्यास के नाम से स्वीकृत करवाने की कार्यवाही की गयी है जो कि गलत है तथा अपास्त किये जाने योग्य है।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

14. यह कि इन्तकाल जेर अपील से अपीलान्टा ने प्रत्यक्षतः क्षुब्ध एवं व्यथित पक्षकारा है क्योंकि इन्तकाल जेर अपील के तहत अपीलान्टा की खरीदशुदा भूमि को नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर के नाम से दर्ज किया गया है इसलिये अपीलान्टा प्रत्यक्षतः आदेश जेर अपील से प्रभावित प्रभावित एवं व्यथित पक्षकारा होने के नाते अपील प्रस्तुत करने की अधिकारी है। इस सम्बन्ध में धारा 96 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र पृथक से सम्मिलित है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो. को जरिए सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया जाकर उभय पक्षकारान के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी।

अपीलांटा के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा अपनी बहस में मुख्य रूप से मीमो ऑफ अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलाधीन इन्तकाल चूकि बिना अपीलान्टा को सुने एकतरफा तौर से अपीलांटा की खरीदशुदा खातेदारी भूमि के संदर्भ में स्वीकृत किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। ऐसे आदेश के सन्दर्भ में मियाद का प्रश्न गौण होने के कारण देरी को क्षमा किया जाना कथन करते हुए स्वयं को प्रभावित एवं व्यथित पक्षकार होना कथन करते हुए अपील स्वीकार कर इन्तकाल संख्या 298 दिनांक 17.09.2012 को निरस्त करने का निवेदन किया है। यह भी कथन किया कि 90बी के तहत स्वतः ही कार्यवाही कर बिना रिकॉर्ड का अवलोकन किये, बिना मौका जांच किये एवं बिना अपीलान्टा को तलब किये कार्यवाही सुखदर्शन सिंह के नाम से की गयी है जबकि सुखदर्शन सिंह के खातेदारी अधिनियम 2004 में ही अपीलान्टा में निहित हो चुके थे, इसलिये ऐसे क्षेत्राधिकारविहीन एवं प्रारम्भतः शून्य आदेश के आधार पर बिना सुनवाई स्वीकृत किया गया। अपीलाधीन इंतकाल निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलांटा के अधिवक्ता की ओर से अपने कथनों के समर्थन में 2023(2) अपैक्स कोर्ट जजमैन्ट 0138 सर्वोच्च न्यायालय, 2013(2) सिविल कोर्ट केसेज 0484 सर्वोच्च न्यायालय एवं 2010 (2) अपैक्स कोर्ट जजमैन्ट 0717 सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये है।

रेस्पों. के विद्वान अधिवक्ता की ओर से अपीलांटा के अधिवक्ता की बहस का पुरजोर विरोध करते हुए कथन किया कि इन्तकाल जेर अपील धारा 90बी भू राजस्व अधिनियम के तहत पारित आदेश के अधीन सही तौर पर स्वीकृत किया गया है जिसमें किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं होने के कारण एवं अपील जाहिरा तौर से बाहर मियाद प्रस्तुत की गयी होने के कारण निरस्त की जावे।

वस्वक्त निर्णय उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं अपीलीय पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया एवं प्रस्तुतकर्ता न्यायिक दृष्टान्तों का सम्मानपूर्वक अध्ययन कर सम्बन्धित विधि का परिशीलन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया गया।

सर्वप्रथम जहां तक अपीलान्टा के द्वारा प्रस्तुत धारा 5 एवं 14 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र का प्रश्न है तो पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलाधीन कृषि भूमि अपीलान्टा की जरिए बैयनामा दिनांक 16.03.2004 से स्वीकृत रूप से खरीदशुदा है जिसका कोई विरोध प्रत्यर्थी के द्वारा नहीं किया गया है एवं यह भी स्वीकृत स्थिति है कि अपीलान्टा को बिना सुने बिना नोटिस जारी किये अपीलाधीन इंतकाल स्वीकृत

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

किया गया है ऐसी स्थिति में अपीलाधीन इंतकाल से अपीलांटा के प्रत्यक्षतः प्रभावित पक्षकार होने के कारण उसे धारा 96 सी.पी.सी. के तहत अपील प्रस्तुत करने की अनुमति इस न्यायालय के द्वारा अपनी आदेशिका दिनांक 28.12.2016 से दिये जाने के कारण एवं धारा 5 व 14 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का कोई विरोध रेस्पो. की ओर से सःशपथ ना करने के कारण प्रार्थना पत्र धारा 5 व 14 मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपीलांटा द्वारा प्रस्तुत अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली के गुणावगुण पर यदि विचार किया जावे तो पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपील में विवादित कृषि भूमि तहसील श्रीगंगानगर के चक 3 ए छोटी, पटवार हल्का रामनगर में मुरब्बा नम्बर 2 का किला नम्बर 7 में 0.0370 है. नहरी एवं किला नम्बर 14/2 में 0.1390 है. कुल 0.1760 है. मुश्तरका खाता में से 0.126 है. अपीलांटा की जरिए पंजीकृत बैयनामा दिनांक 16.03.2004 से खरीद की हुई है जिसकी खरीद का इन्तकाल संख्या 281 दिनांक 29.12.2010 को स्वीकृत हुआ है। पत्रावली पर यह भी स्वीकृत तथ्य है कि विवादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में दीवानी वाद कलावती देवी एवं सुखदर्शन सिंह के मध्य चला जो माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा दिनांक 22.07.2013 को निर्णीत होकर डिग्री हुआ एवं इसके उपरान्त सिविल न्यायाधीश, श्रीगंगानगर के न्यायालय से दिनांक 06.12.2014 को अन्तिम रूप से डिग्री हुआ। यह तथ्य भी निर्विवाद है कि दिनांक 06.12.2014 तक विवादग्रस्त भूमि दीवानी न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश के अधीन थी। पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य भी प्रकट होता है कि धारा 90 बी भू राजस्व अधिनियम की कार्यवाही, जो कि सुखदर्शन सिंह के **विरूद्ध** की गयी लेकिन कार्यवाही के रोज भूमि सुखदर्शन सिंह के नाम से नहीं थी एवं धारा 54 सम्पति अन्तरण अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार विक्रेता द्वारा अपने हकों का अन्तरण पंजीकृत दस्तावेज के माध्यम से करने पर उसके समस्त अधिकार समाप्त होकर क्रेता में निहीत हो जाते है जैसाकि वर्तमान प्रकरण में अपीलान्टा में निहित हो चुके थे। विधि का यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि प्रभावित पक्षकार को बिना सुने पारित आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने के कारण प्रभावहीन एवं प्रभावशून्य होता है जब अपीलान्टा के द्वारा दिनांक 16.03.2004 को स्वीकृत रूप से तहसील श्रीगंगानगर के चक 3 ए छोटी, पटवार हल्का रामनगर में मुरब्बा नम्बर 2 का किला नम्बर 7 में 0.0370 है. नहरी एवं किला नम्बर 14/2 में 0.1390 है. कुल 0.1760 है. मुश्तरका खाता में से 0.126 है. भूमि खरीद कर ली थी। अपीलान्टा को बिना सुने अथवा साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना पारित कोई भी आदेश विधि की दृष्टि में कोई महत्व नहीं रखता है **"क्योंकि नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर द्वारा अपनी पत्रावली की आदेशिका दिनांक 11.11.2010 में यह जरूर अंकित किया है कि दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशनार्थ वास्ते हस्ताक्षर प्रस्तुत है तथा खातेदारो को अलग से नोटिस तैयार कर वास्ते हस्ताक्षार्थ सादर सेवा में पेश है परन्तु पत्रावली में खातेदार के नाम से कोई नोटिस उपलब्ध नहीं है"** अपने ही स्तर पर बिना अपीलांटा को सुने की गयी धारा 90वी की क्षेत्राधिकारविहीन कार्यवाही के अधीन अर्सा दो वर्ष उपरान्त स्वीकृत किया गया अपीलाधीन आदेश भी बिना अपीलान्टा को सुने एवं रिकॉर्ड का अवलोकन किये स्वीकृत किया जाना प्रमाणित होता है क्योंकि जिस रोज अपीलाधीन इंतकाल स्वीकृत किया गया है उससे पूर्व ही जरिए इन्तकाल संख्या 281 दिनांक 29.

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

तारीख क ख योग खाना

12.2010 को उक्त भूमि अपीलान्टा के नाम से दर्ज हो चुकी थी ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का यह दायित्व था कि अपीलान्टा को नोटिस जारी कर इस सम्बन्ध में समुचित जांच की जाती कि भूमि राजस्व रिकॉर्ड में अपीलान्टा के नाम से कैसे दर्ज है। मौका जांच किया जाना भी प्रमाणित नहीं हैं एवं अन्य किसी भी प्रकार की कोई जांच अपीलाधीन इंतकाल स्वीकृत करने से पूर्व की गयी हो, यह भी प्रमाणित नहीं है। विधि का यह सुःस्थापित सिद्धान्त है कि प्रभावित पक्षकार को बिना पक्षकार बनाये, बिना साक्ष्य सुनवाई का अवसर दिये एवं बिना समुचित जांच किये यदि कोई आदेश पारित किया जाता है तो उसका कोई विधिक महत्व नहीं रहता है। अपीलांटा के अधिवक्ता की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गयी व्यवस्था मौजूदा अपील के प्रकरण पर पूर्ण रूप से चस्पा होती है जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि बिना प्रभावित पक्षकार को सुनवाई का अवसर प्रदान किये पारित आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने के कारण स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए अपीलांटा की अपील स्वीकार किये जाने योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाना एवं अपीलाधीन इंतकाल निरस्त करना उचित समझते है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांटा स्वीकार की जाती है एवं अपीलाधीन इंतकाल संख्या 298 दिनांक 17.09.2012 निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रति मय रिकॉर्ड लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 30.07.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(वीरेन्द्र सिंह चौधरी)
अति0 जिला कलक्टर
अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)